Nainital Samachar, October 1-14, 2005

खनन की सच्चाई समझ में आ रही है तो एकजुट हो रहे हैं लोग

महेश जोशी

संवेदनाशून्य शासनतंत्र के संरक्षण में खनन व्यवसायी गोचर, पनघट, पंचायती वन अथवा नाप–बेनाप भूमि का लीज पट्टा प्राप्त करने को तत्पर हैं। जिन क्षेत्रों में जागरूकता है, वहाँ की जनता प्रतिरोध कर रही है। जहाँ सामूहिकता खण्डित हुई है, वहाँ खनन ने विकराल रूप धारण किया है। बागेश्वर जिले में मल्ला दानपुर की जनता ने चौड़ास्थल में एकता का प्रदर्शन कर खनन व्यवसायियों के छक्के छुड़ाये हैं। अल्मोड़ा जिले में द्वाराहाट तथा टिहरी जिले के कटाल्डी में खदान के विरोध में आंदोलन जारी है। कटाल्डी का मामला तो उच्च न्यायालय तक पहुँचा है।

25 वर्ष पूर्व जिला बागेश्वर (तब जिला अल्मोड़ा) के कपकोट विकास खंड में 5 क्षेत्रों में अलग–अलग छः लीजें मंजूर हुईं। चौडास्थल की लीज कांग्रेस के मंगल सिंह ऐठाणी, फरसाली में एक लीज उत्तरांचल कांग्रेस के प्रवक्ता दिनेश कुंजवाल तथा दूसरी पिथौरागढ़ के किसी पाठक के नाम थी। बसकूना की कटियार माईन्स (कानपुर), रीमा में एन. एस. कार्पोरेशन (कलकत्ता) तथा गडेरा में एम.सी. तिवारी, हल्द्वानी के नाम लीज स्वीकृत हुई। खड़िया खनन के दुष्परिणाम जल्दी सामने आने लगे। गोचर, जल स्रोतों व खेती पर खनन का असर दिखाई देने लगा था। इससे ग्रामीणों में छटपटाहट शुरू हो गई।

मल्ला दानपुर के मध्य में अत्यन्त खूबसूरत जगह पर स्थित चौडास्थल में बड़े–बड़े मैदान हैं, जो पालतू मवेशियों के चारागाह है। यहीं एक हैलीपैड बनाया गया है। खनन स्थल के पूर्व में चौडा मल्ला, सलिंग, संलिंग उडियार, चौडा तल्ला तथा सूडिंग व लोहारखेत गॉव है। पश्चिम में काफली, कमडी, उत्तर में चौडास्थल इंटर कॉलेज तथा दक्षिण में पेठी, घुरटिया गॉव बसे हैं। इस क्षेत्र में 1957 से 1976 के बीच तीन बड़े भूस्खलन हो चुके हैं, जिनमें एक सौ के करीब लोगों की जान चली गई थी। भारी मात्रा मे कृषि भूमि तबाह हुई थी। गॉव कर्मी के भयात तोक में 22 जुलाई 1983 को 37 लोग व कई मवेशी जिन्दा दफन हो गये थे। 1957 में सूडिंग गांव में 45 लोग मारे गये थे। कर्मी की तबाही के बाद प्रख्यात भूगर्भ विज्ञानी डॉ. के. एस. वाल्दिया ने पूरे मल्ला दानपुर क्षेत्र को अत्यन्त संवेदनशील बताया था। क्षेत्र में कार्यरत एक स्वैच्छिक संगठन 'ग्रामीण उत्थान समिति' के मंत्री उमेश जोशी ने अपने साथियों के साथ क्षेत्र के लोगों से इन सब बातों की चर्चा कर उन्हें संगठित किया। 26 अप्रेल 1984 को ग्रामीणों की ओर से जिलाधिकारी अल्मोड़ा के नाम खनन के विरोध में पहला पत्र भेजा गया। 7 फरवरी 1985 को खनन क्षेत्र में लालझंडा गाड कर चार दिन तक काम रोक दिया। अन्त में 3 जून 1985 को इलाके में डेढ–दो सौ महिला–पुरुषों ने कालिका मंदिर, चौडास्थल में बैठक कर आंदोलन की घोषण कर दी। चौड़ास्थल सहित क्षेत्र की समस्त लीजों को निरस्त करने की मॉग की गई। आंदोलन को बाहर के अनेक संगठनों का समर्थन मिला।

लीज धारक मंगल सिंह ऐठाणी के प्रयासों से आदोलन में छिटपुट टूटफूट हुई, लेकिन संगठन बराबर मजबूत होता गया। चौड़ास्थल से जिला मुख्यालय बागेश्वर तक 54 किमी. की ढोल–नगाडो के साथ पदयात्रा, प्रशासन के घिराव और कई दिनों तक धरना–क्रमिक अनशन से प्रशासन के नुमाइन्दे क्षेत्र में

नैनीताल समाचार (पाक्षिक)

आने के लिए मजबूर हुए। परिस्थितियों का ऑकलन कर प्रशासन ने आंदोलन के पक्ष में शासन को अपनी जॉच रिपोर्ट भेजी। आंदोलनकारियों ने लीज निरस्त कर खड़िया खनन बद करने, खनन से हो रही क्षति का मुआवजा देने तथा गड्ढों को पाट कर वृक्षारोपण करवाने की मांग की। खड़िया खनन बंद हुआ तो खोदी गयी खड़िया भी ग्रामीणों ने रोक दी। उधर ठेकेदार ने खड़िया की कीमत और अपने तमाम खर्चे वसूलने की चेतावनी दी। उसने उच्च न्यायालय इलाहाबाद का भी दरवाजा खटखटाया। इस बीच आंदोलनकारियों ने वह जगह ग्रामीणों के नाम अलाट करवा कर उनके लिए भवन बनवाने की मंजूरी ले ली। अन्त में 16 सितम्बर 1985 को परगनाधिकारी बागेश्वर ने अगले आदेश तक खड़िया खनन बंद करने का आदेश दे दिया और इसके साथ ही आंदोलन भी स्थगित हो गया।

10 वर्ष बाद पुनः खनन होने से ग्रामीण भड़क उठे। 11 सितम्बर 1995 को पुनः कालिका मंदिर चौड़ास्थल में 'ग्रामीण चेतना मंच' के बैनर तले धरना–क्रमिक अनशन शुरू कर दिया गया। आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया। 82 वर्षीय बचुली देवी अनशन में बैठीं। महिला मंगल दल पेठी की अध्यक्षा रुकमणी देवी ने महिलाओं को एकजुट किया। इस बीच उत्थान समिति, कपकोट द्वारा गॉव–गॉव में गठित महिला व युवक मंगल दलों ने बढ़–चढ़कर आंदोलन में हिस्सेदारी की। 1996 मे पुनः खनन पर रोक लग गई। लेकिन वर्ष 2002 में वह पुनः शुरू हो गया। एक बार फिर चन्द्र सिंह देवली, रुक्मणी देवी, पार्वती देवी, अमर सिंह, बचुली देवी बाला सिंह, खुशाल सिंह मटियाली, उमेश जोशी आदि के नेतृत्व मे चले आंदोलन के बाद पुनः खनन कार्य रोकना पड़ा।

लीजधारक मगल सिंह ऐठाणी ने अपनी दाल न गलती देख खनन का पट्टा हल्द्वानी के ठेकेदार हेमचन्द्र उप्रेती के नाम स्थानान्तरित कर दिया। इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली तो वे फिर संगठित हो गये। 27 सितम्बर 2004 को उत्तरांचल सरकार को ज्ञापन प्रेषित करने के बाद 26 जनवरी 2005 को वे कालिका मंदिर चौड़ास्थल में धरने पर बैठ गये। 29 जनवरी से क्रमिक अनशन शुरू किया गया तथा 22 फरवरी को कपकोट तहसील का घेराव कर एक सभा की गई। काफी जद्दोजहद के बाद 11 मार्च 2005 को उपजिलाधिकारी, कपकोट गिरीश चन्द्र गुणवन्त ने आंदोलनकारियों को लिखित रूप में दिया कि लीज हेतु वे संस्तुति नहीं देंगे।

अल्मोड़ा जिले में द्वाराहाट के निकट दूनागिरि मंदिर में कुछ दूर गर्जिया गांव के महेलखाली तोक में 1993 में हल्द्वानी के कुछ ठेकेदारों ने अवैध खनन शुरू कर दिया। यह तोक चारों ओर से संरक्षित वन से घिरा है, जिसमें बांज, बुरांश, काफल इत्यादि के वृक्ष हैं। गर्जिया गॉव के ऊपर भी संरक्षित वन हैं और नीचे तड़ागताल व ग्रामीणों के उपजाऊ खेत हैं। बेरोकटोक हो रहे खड़िया खनन के विरोध में मोहन काण्डपाल, सचिव शिक्षण एवं ग्रामोत्थान समिति सुरईखेत

के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिसमें जागरूक ग्रामीणों व छात्र–छात्राओं ने हिस्सेदारी की। खनन ठेकेदारों द्वारा खनन को कानूनी जामा पहनाने के लिए 45 नाली जमीन खरीद ली गई और उसके सहारे आस–पास के क्षेत्र को मिलाकर सात हेक्टेअर जमीन पर मई 1993 में 'उत्तराचल ग्रामीण विकास समिति शीतलाखेत' के नाम से लीज स्वीकृत करा ली। गर्जिया गॉव के ग्राम प्रधान व कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को भी अपने साथ मिला लिया। ग्रामीणों का पैसा देकर उनके खेतों से व युवाओं को प्रलोभन देकर गॉव से सटे रिजर्व फॉरेस्ट से खडिया खुदवा कर रोजगार दिया जाने लगा। बॉज–बुराँश के छोटे–छोटे कट पेडों को आंदोलनकारियों ने प्रशासन को भी दिखाया। खनन रुकवाने के लिए द्वाराहाट क्षेत्र विकास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। आन्दोलनकारियों ने प्रशासन पर दबाव बनाकर जॉच करवाई, पर वह रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। बताया जाता है कि इसके लिये भारी राजनैतिक दबाव था। खनन से गर्जिया के आसपास का जनजीवन प्रभावित होने लगा। कृषि, पशुपालन के साथ चारा–घास, जलस्रोत व क्षेत्र का पर्यावरण बिगडने लगा। बाद में नेपाली मजदूरों से खनन कार्य करवाये जाने पर क्षेत्र में शराब के साथ अन्य बुराई सामने आई। काफी संघर्ष के बाद फिलहाल एक खान बंद हो गई।

टिहरी गढवाल के कटाल्डी गांव में 30 परिवार रहते हैं। राजेन्द्र भंडारी की पर्वतीय मिनरल इंडस्ट्रीज 1974–79 के बीच यहॉ डायनामाइट के धमाकों से चूना पत्थर की खुदाई कर चुकी थी। ग्रामीणों के प्रयासो से खान की लीज रद्द हो गई। लेकिन 1997 में भंडारी ने 13 एकड क्षेत्र का पट्टा फिर प्राप्त कर लिया। हालॉकि ग्रामीणों के विरोध के चलते खनन शुरू नही हो पाया। पट्टा खत्म होने से पूर्व ही उत्तराचल राज्य का गठन हो जाने पर भंडारी बंधुओं व अधिकारियों के सहयोग से 30 साला लीज पट्टा एक बार फिर अपने नाम करवाने में सफल हुआ। ग्राम सभा को इसकी भनक तक नहीं लगी, जबकि गॉव वालों को एक मकान बनाने के लिए भूमि हेतु ग्राम सभा की अनेक औपचारिकताओं से गुजरना पडता है। ठेकेदार ने अपने लीज आवेदन में कटाल्डी के 30 परिवारों का जिक्र नहीं किया था। न ही घरों से खनन क्षेत्र की दूरी दर्शायी गई थी। जबकि घरों से खनन क्षेत्र की दूरी 100–50 मीटर से कम है। स्पष्ट है कि भारी गोलमाल था।

कटाल्डी के खदान से जनजीवन को तो खतरा हुआ ही, नागणी के पास सौ एकड में फैले खैरसैरा का एक मात्र जलस्रोत प्रभावित होने लगा। पूर्व में हुए खनन से ही कटाल्डी का पानी सूख गया था तथा धान के खेत बंजर पड गये। चूना व खडिया के पहाड में प्राकृतिक रूप से पानी के भंडार होते हैं, लेकिन डायनामाइट के धमाकों से पानी के अन्यत्र रिसने की संभावना बन गई। हेंवलघाटी से हेंवलनदी का पानी चम्बा को पम्प किया जाता है। यह नदी सूखी तो चम्बा, बादशाहीथौल और रानीचौरी की आबादी जल समस्या से तडप उठेगी। हेंवल नदी की निचली घाटी में सिंचित उपजाऊ कृषि भूमि प्रभावित होगी। यहीं आसपास के मवेशियों का चारागाह है वन प्रभाग द्वारा भारी खर्च कर एक लाख पौधे लगाये हैं और चारदिवारी की गई है।

आन्दोलित ग्रामीणों का कहना है कि कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन से वे अब तक जीविकोपार्जन करते आये हैं। खनन से उनका अस्तित्व खतरे में पड गया है। अतः वे खनन बंद करा कर रहेंगे। 25 दिसम्बर 2001 को उन्होंने ढोल–नगाड़े के साथ जलूस प्रदर्शन किया। पूर्व में प्रभागीय वनाधिकारी ने वन संरक्षण अधिनियम के तहत इस क्षेत्र में खनन लीज को निरस्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। खनन वाली जमीन कटाल्डी की वन पंचायत में है, जिसमें ग्रामीणों का कानूनी अधिकार है। लेकिन ग्रामीणों के विरोध के खिलाफ लीजधारक जिला न्यायालय टिहरी की शरण में गया। दुर्भाग्यवश दिसम्बर 2002 को न्यायालय ने अपना फैसला पर्वतीय मिनरल इंडस्ट्रीज के पक्ष में दे दिया और खनन जारी रहा। तब सोसाइटी फॉर माउंटेन फॉर इनवायरमेंट के श्रीधर राममूर्ति और कटाल्डी गांव के महेश लखेड़ा ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और दिसम्बर 2002 को कोर्ट ने खनन पर रोक लगा दी, जो 18 फरवरी 2003 तक प्रभावी हो गई। इन्ही दिनों हाईकोर्ट ने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जिसमें जिलाधिकारी भी शामिल थे। समिति ने मामले की जॉच कर खनन जारी रखने की इजाजत दे दी और वन संरक्षक भागीरथी क्षेत्र से पूछा कि खनन लीज की जगह वन पंचायत है या नहीं। मुख्य वन संरक्षक ने सितम्बर 2003 में हलफनामा पेश करते हुए कहा कि लीज क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन आता है, इसलिये खनन से पूर्व भारत सरकार से स्वीकृति आवश्यक है। 23 सितम्बर 2003 को अदालत ने पूर्व में दिये गये स्थगनादेश को बढा दिया। फिलहाल कटाल्डी में खनन बन्द है और ग्रामीण राहत महसूस कर रहे हैं।

चौड़ास्थल, गर्जिया–मेहलखाली व कटाल्डी में चल रहे आंदोलनों से यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड में खनन व्यवसाय भ्रष्ट राजनीतिज्ञों व गैरजिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में फल–फूल रहा है। अपने घर, गांव व इलाके को बचाने के लिये जनता को दोहरी मार झेलनी पड रही है। एक ओर पहाड़ों के रडने–बगने से जान माल का खतरा बढ रहा है, वनावरण घट रहा है और कृषि भूमि प्रभावित हो रही है, जल स्रोत सूख रहे हैं, खनन से उड़ने वाली धूल तथा बाहर से आये श्रमिकों के साथ आ रही गंदगी से बीमारियाँ बढ रही हैं और पहाड़ों के शान्त जनजीवन मे सामाजिक बुराइयॉ हावी हो रही हैं। दूसरी ओर ग्रामीणों को खनन व्यवसायियों की अभद्रता और उत्पीडन से दो–चार होना पडता है तथा न्यायालयों के अनावश्यक चक्कर काटने पडते हैं। खनन से जितना राजस्व प्राप्त होता है, उससे कई गुना पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। खनन व्यावसायी इस धंधे में बेहिसाब कमाई होने के कारण किसी अधिकारी, कर्मचारी या ग्रामीण को धन के लालच में अपने पक्ष में कर लेते हैं। बावजूद इसके जनता खनन की सच्चाई अब समझ रही है। चौड़ास्थल, गर्जिया–मेहलखाली और कटाल्डी में चल रहे आंदोलनों के आशाजनक परिणाम सामने आये हैं।

(यह आलेख सी.एस.ई. की फेलोशिप के अन्तर्गत तैयार किया गया है।)